17/10/24	[illegible] पेश हो। 20/11/24
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली आईंदा कार्यवाही हेतु दिनांक 26/11/24 को पेश हो।
26/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अपील धारा 2 व 15 की तामील पूर्व में ही पूर्व में विपक्षीगण उपस्थित। अतः प्रकाश में अपील धारा 2 व 15 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आगे की जाती है। जवाब पेश किया जा चुका है। पत्रावली बाबत बहस दिनांक 27/11/24 को पेश हो।
27/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली निकाली। पत्रावली नकल करके दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही मय इनिसियल्स

तेजाराम